

न्यायालय सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी बाप, फलोदी
पीठासीन अधिकारी :- सत्य नारायण-I (आर.ए.एस.)

राजस्व वाद संख्या :- 50/2025
दायर दिनांक :- 10.03.2025

जी.सी.एम.एस. नम्बर :- 2025/94
निर्णय दिनांक :- 05.05.2026

1. रईसा खातून पत्नि मो. शबीर जाति सिंधी मुसलमान निवासी जानुपुरा तहसील बाप जिला फलोदी
2. मरियम खातून पत्नि मो. रफीक जाति सिंधी मुसलमान निवासी जानुपुरा तहसील बाप जिला फलोदी
3. शरीफो खातून पत्नि रसीद खां जाति सिंधी मुसलमान निवासी जानुपुरा तहसील बाप जिला फलोदी

—वादीगण

बनाम

1. सगता पुत्र जैसा जाति कुम्हार निवासी जानुपुरा तहसील बाप जिला फलोदी फौत के कायम मुकाम
- 1/1. शांतिलाल पुत्र सगताराम जाति कुम्हार निवासी जानुपुरा तहसील बाप जिला फलोदी
- 1/2. लालाराम पुत्र सगताराम जाति कुम्हार निवासी जानुपुरा तहसील बाप जिला फलोदी
- 1/3. राणाराम पुत्र सगताराम जाति कुम्हार निवासी जानुपुरा तहसील बाप जिला फलोदी
- 1/4. भीखाराम पुत्र सगताराम जाति कुम्हार निवासी जानुपुरा तहसील बाप जिला फलोदी
- 1/5. मोहनी पुत्री सगताराम जाति कुम्हार निवासी जानुपुरा तहसील बाप जिला फलोदी
2. शाखा प्रबंधक पंजाब नेशनल बैंक शाखा फलोदी
3. राजस्थान राज्य जरिये श्रीमान तहसीलदार, बाप

—प्रतिवादीगण

राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955

- उपस्थित :-1. श्री राजेन्द्रसिंह सोलंकी अधिवक्ता वादीगण
2. पैरोकार सरकार तहसीलदार बाप

—:: निर्णय ::—

वादीगण ने एक राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का इस आशय से पेश किया कि ग्राम जानुपुरा पटवार हल्का शेखासर तहसील बाप जिला फलोदी में खसरा नम्बर 956 रकबा 0.1457 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 957 रकबा 2.0801 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 975 रकबा 5.2690 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 976 रकबा 5.2285 हैक्टेयर भूमि वादीगण एवं प्रतिवादीगण संख्या 1/1 ता 1/5 की संयुक्त काश्त भूमि है जिसे वाद पत्र में वादग्रस्त भूमि से संबोधित किया गया है। उक्त वादग्रस्त भूमि में वादीगण व प्रतिवादी संख्या 1/1 ता 1/5 का हिस्से अनुसार कब्जा काश्त रहा है, वादीगण एवं प्रतिवादीगण संख्या 1/1 ता 1/5 ने उक्त वादग्रस्त भूमि का मौका पर आपसी सहमति से हिस्से माफिक बंटवाड़ा कर लिया था।

वादीगण का वाद दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादी को जरिये सम्मन तलब किया गया प्रतिवादी सं. 1/1 ता 1/5 की और से कोई उपस्थित नहीं आये लिहाजा इनके विरुद्ध एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई। पत्रावली में अधिवक्ता वादीगण एवं पैरोकार सरकार की बहस सुनकर

Saty...
सहायक कलेक्टर
बाप (फलोदी)



ग्राम जानुपुरा पटवार हल्का शेखासर तहसील बाप जिला फलोदी में खसरा नम्बर 956 रकबा 0.1457 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 957 रकबा 2.0801 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 975 रकबा 5.2690 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 976 रकबा 5.2285 हैक्टेयर भूमि में हिस्सा अनुसार विभाजन प्रस्ताव लाने बाबत प्राथमिक डिक्री जारी की गई। तहसीलदार बाप द्वारा विभाजन प्रस्ताव तैयार कर दो प्रतियों में पेश किया गया जो शामिल पत्रावली किया गया। पत्रावली अंतिम बहस में रखी गई।

तहसीलदार बाप द्वारा प्रस्तुत प्रस्तावित विभाजन प्रस्ताव पर अधिवक्ता वादीगण की बहस सुनी गई। अधिवक्ता वादीगण ने अपनी बहस में कथन किया कि उनके द्वारा उक्त प्रस्तावित विभाजन प्रस्ताव का अवलोकन कर लिया गया है तथा प्रस्तावित विभाजन प्रस्ताव विधि सम्मत एवं माफिक इस्तदुआ होने से स्वीकार किया जावे साथ में यह भी कथन किया कि उक्त प्रस्तावित विभाजन प्रस्ताव के सम्बन्ध में कोई उजर एतराज नहीं है। प्रस्तावित विभाजन प्रस्ताव स्वीकार कर अंतिम डिक्री जारी किये जाने के आदेश फरमाये जाने का निवेदन किया।

अधिवक्ता वादीगण की बहस पर मनन किया गया एवं तहसीलदार बाप द्वारा प्रस्तावित विभाजन प्रस्ताव का अवलोकन किया गया। बाद मनन एवं अवलोकन पाया गया कि प्रस्तावित विभाजन प्रस्ताव माफिक प्राथमिक डिक्री अनुसार तैयार कर तहसीलदार, बाप द्वारा पेश किया गया है। उक्त प्रस्तावित विभाजन प्रस्ताव को स्वीकार किये जाने हेतु अधिवक्ता वादिनीगण द्वारा भी इस्तदुआ की गई है। अतः तहसीलदार बाप द्वारा प्रस्तुत किये गये विभाजन प्रस्ताव को स्वीकार किया जाना उचित समझते हैं।

क्रियात्मक आदेश

तहसीलदार बाप द्वारा राजस्व ग्राम जानुपुरा पटवार हल्का शेखासर तहसील बाप जिला फलोदी में खसरा नम्बर 956 रकबा 0.1457 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 957 रकबा 2.0801 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 975 रकबा 5.2690 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 976 रकबा 5.2285 हैक्टेयर भूमि के सम्बन्ध में प्रस्तुत विभाजन प्रस्ताव को स्वीकार किया जाता है। उक्त वादग्रस्त भूमि का वादीगण एवं प्रतिवादीगण सं. 1/1 ता 1/5 के मध्य निम्नुसार बंटवाड़ा किया जाता है :-

क्र. स.	पक्षकारान् का नाम	ग्राम का नाम	खसरा नम्बर	रकबा/हैक्टयर	किस्म
1	मरियम खातून पत्नि मो. रफीक 1/3, रईसा खातून पत्नि मो. शबीर 1/3, शरीफो खातून पत्नि रसीद खां 1/3 जाति सिंधी मुसलमान सा.देह खातेदार रहन-एसबीआई शाखा फलोदी	जानुपुरा जानुपुरा	975 976	3.4074 हैक्टेयर 1.0926 हैक्टेयर	बी-1 बी-1
2	मरियम खातून पत्नि मो. रफीक 191/690, रईसा खातून पत्नि मो. शबीर 1/3, शरीफो खातून पत्नि रशीद खां 1/3 जाति सिंधी मुसलमान सा.देह, सादूलराम पुत्र सांगाराम 13/230 जाति सुथार सा.पूणे खातेदार रहन-एसबीआई शाखा फलोदी मरियम खातून, रईसा खातून व शरीफो खातून का हिस्सा	जानुपुरा	957	1.8616 हैक्टेयर	बी-1

Sakia
सहायक कलेक्टर
बाप (फलोदी)

3	शांतिलाल 1/5, लालाराम 1/5, राणाराम 1/5, भीखाराम 1/5 पिता सगताराम, मोहनी 1/5 पुत्री सगताराम जाति कुम्हार सा.देह खातेदार	जानुपुरा	956	0.1457	हैक्टेयर	गै.मु ढाणी बी-1 बी-1 बी-1
			957	0.2185	हैक्टेयर	
			975	1.8616	हैक्टेयर	
			976	4.1359	हैक्टेयर	

तहसीलदार बाप को आदेश दिया जाता है कि उपरोक्त वादग्रस्त भूमि के विभाजन का राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद कर वादीगण एवं प्रतिवादी सं. 1/1 ता 1/5 के खाते राजस्व रिकॉर्ड में अलग-अलग कायम कर इसी अनुसार नक्शा लट्ठा ट्रेस में तरमीम करे। विभाजन प्रस्ताव के संलग्न नजरी नक्शा निर्णय का अभिन्न भाग समझा जायेगा। डिक्री पर्चा अलग से जारी हो। पत्रावली फ़ैसल शुमार होकर नम्बर से कम की जाकर दाखिल दपतर हो।

निर्णय आज दिनांक 05.05.2026 को लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।



Saty...
 (सत्य नारायण - I आर.ए.एस.)
 सहायक कलेक्टर एवं
 बाप खण्डाधिकारी
 बाप (फलोदी)

अंतिम डिगरी बमुकदमें इब्तदाई

(आदेश 21 नियम 6, 7 जाब्ता दीवानी)

अज अदालत सहायक कलक्टर मुकाम बाप जिला फलोदी
पीठासीन अधिकारी सत्य नारायण-I (आर.ए.एस.)

1. रईसा खातून पत्नि मो. शबीर जाति सिंधी मुसलमान निवासी जानुपुरा तहसील बाप जिला फलोदी
2. मरियम खातून पत्नि मो. रफीक जाति सिंधी मुसलमान निवासी जानुपुरा तहसील बाप जिला फलोदी
3. शरीफो खातून पत्नि रसीद खां जाति सिंधी मुसलमान निवासी जानुपुरा तहसील बाप जिला फलोदी

—वादीगण

बनाम

1. सगता पुत्र जैसा जाति कुम्हार निवासी जानुपुरा तहसील बाप जिला फलोदी फौत के कायम मुकाम
- 1/1. शातिलाल पुत्र सगताराम जाति कुम्हार निवासी जानुपुरा तहसील बाप जिला फलोदी
- 1/2. लालाराम पुत्र सगताराम जाति कुम्हार निवासी जानुपुरा तहसील बाप जिला फलोदी
- 1/3. राणाराम पुत्र सगताराम जाति कुम्हार निवासी जानुपुरा तहसील बाप जिला फलोदी
- 1/4. भीखाराम पुत्र सगताराम जाति कुम्हार निवासी जानुपुरा तहसील बाप जिला फलोदी
- 1/5. मोहनी पुत्री सगताराम जाति कुम्हार निवासी जानुपुरा तहसील बाप जिला फलोदी
2. शाखा प्रबंधक पंजाब नेशनल बैंक शाखा फलोदी
3. साजस्थान राज्य जरिये श्रीमान तहसीलदार, बाप

—प्रतिवादीगण

राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 88,53,188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955

राजस्व वाद संख्या 50/2025

यह मुकदमा आज वास्ते इन फिसाल कतई रूबरू मेरे सत्य नारायण-I पीठासीन अधिकारी व हाजिर राजेन्द्रसिंह सौलकी मिनजानिब मुदई व मिनजानिब मुदायलहा पेश होकर हुकम दिया जाता है एवं डिगरी दी जाती है कि राजस्व ग्राम जानुपुरा पटवार हल्का शेखासर तहसील बाप जिला फलोदी में खसरा नम्बर 956 रकबा 0.1457 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 957 रकबा 2.0801 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 975 रकबा 5.2690 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 976 रकबा 5.2285 हैक्टेयर भूमि के सम्बन्ध में प्रस्तुत विभाजन प्रस्ताव को स्वीकार किया जाता है। उक्त वादग्रस्त भूमि का वादीगण एवं प्रतिवादीगण सं. 1/1 ता 1/5 के मध्य निम्नुसार बंटवाड़ा किया जाता है :-

क्र. सं.	पक्षकारान् का नाम	ग्राम का नाम	खसरा नम्बर	रकबा/हैक्टेयर	किस्म
1	मरियम खातून पत्नि मो. रफीक 1/3, रईसा खातून पत्नि मो. शबीर 1/3, शरीफो खातून पत्नि रसीद खां 1/3 जाति सिंधी मुसलमान सा.देह खातेदार रहन-एसबीआई शाखा फलोदी	जानुपुरा जानुपुरा	975 976	3.4074 हैक्टेयर 1.0926 हैक्टेयर	बी-1 बी-1
2	मरियम खातून पत्नि मो. रफीक 191/690, रईसा खातून पत्नि मो. शबीर 1/3, शरीफो खातून पत्नि रशीद खां 1/3 जाति सिंधी	जानुपुरा	957	1.8616 हैक्टेयर	बी-1

Saty.
सहायक कलक्टर
बाप (फलोदी)

	13/230 जाति सुधार सा.पूणे खातेदार रहन-एसबीआई शाखा फलोदी मरियम खातून, रईसा खातून व शरीफो खातून का हिस्सा				
3	शातिलाल 1/5, लालाराम 1/5, राणाराम 1/5, भीखाराम 1/5 पिता सगताराम, मोहनी 1/5 पुत्री सगताराम जाति कुम्हार सा.देह खातेदार	जानुपुरा	956 957 975 976	0.1457 हैक्टेयर 0.2185 हैक्टेयर 1.8616 हैक्टेयर 4.1359 हैक्टेयर	गै.मु ढाणी बी-1 बी-1 बी-1

तहसीलदार बाप को आदेश दिया जाता है कि उपरोक्त वादग्रस्त भूमि के विभाजन का राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद कर वादीगण एवं प्रतिवादी सं. 1/1 ता 1/5 के खाते राजस्व रिकॉर्ड में अलग-अलग कायम कर इसी अनुसार नक्शा लठ्ठा ट्रेस में तरमीम करे। विभाजन प्रस्ताव के संलग्न नजरी नक्शा निर्णय का अभिन्न भाग समझा जायेगा। नीचे

मुतालिक बाबत खर्चा इस मुकदमें मय सूद व शहर फीस सदी सालाना आज
की तारीख वसूल याबी तक को अदा करे।

मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख 05.05.2026 को जारी की गई।



Saty
(सत्य नारायण - I, B.A.S.)
अवैधिक कलेक्टर
बाप (फलोदी)

मुदई	रुपया	पैसे	मुदायला	रुपया	पैसे
स्टाम्प अर्जी दावा स्टाम्प			स्टाम्प वकालत नामा		
स्टाम्प वकालत नामा			स्टाम्प अर्जी		
स्टाम्प वजह सबूत			मेहनताना वकील		
मेहनताना वकील			खर्चा वाहन		
खर्चा गवाहन			फीस कमीशनर		
फीस कमीशनर			बाबत इजराय हुक्मनामा		
बाबत इजराय हुक्मनामा			मुत्कारिक		
मिजान			मिजान		

नोट :- इस खर्चे के फार्म पर कुल खर्च यह हो फरीकन का चाहे डिगरी के जरिये दिलाया गया हो न तो दर्ज किया जावे।